न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 60/2016 ,(2016/00122)

1. रामचन्द्र पुत्र रणजीत मीना
2. श्रीमती दुर्गादेवी बेवा स्व0 श्री प्रहलाद राय मीना
3. सत्य नारायण पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद राय मीना
4. अशोक पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद राय मीना
5. अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद राय मीना नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती दुर्गादेवी
   समस्त निवासी ग्राम चीथवाडी तहसील चौमू जिला जयपुर।

– – – वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर।
2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

– – – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांक** :–

संक्षेप में वादीगण ने वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 88, 91 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है कि वाके ग्राम रिसानी में चकसानी के आराजी ख0नं0 8/1 रकबा 5 बीघा गोधा पुत्र रघुनाथ रैगर, 8/2 रकबा 5 बाफाती पुत्र नाथूखां मुसलमान, 8/3 रकबा 5 बीघा मु. धापा बेवा कानाराम स्वामी रिसानी, ख0नं0 8/4 रकबा 2 बीघा गन्नी खां पुत्र नाथूखां रिसानी, ख0नं0 8/5 रकबा 2 बीघा सुन्दर पुत्र गणेश बलाई निवासी भूरथल को सन 1978 में आवंटित की गई थी। उक्त आवंटनो को कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत मुकदमा सं0 4/98 लगायतय 8/98 दिनांक 11.12.1998 के अन्तर्गत निरस्त कर दिये गये। उपरोक्त आराजी ख0नं0 8/1 लगायत 8/5 के बाद के ख0नं0 26 रकबा 1.95 है0 बारानी 3, ख0नं0 27 रकबा 3.7 बारानी तृतीय एवं ख0नं0 49 रकबा 0.12 है0 बारानी तृतीय भूमि ग्राम देगरास तहसील आमेर में अंकित की गई जिसके वर्तमान ख0नं0 भी यही है। यह ग्राम तहसील आमेर में स्थित है। उपरोक्त भूमि पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पहिले से स्वयं एवं वादीगण के पूर्वज श्री रणजीत पुत्र चतरा राम मीना के माध्यम से काबिज चले आ रहे है। यह भूमि पहिले चक रिसानी में अंकित होकर तहसील चौमू में थी जो अब तहसील आमेर में है।

वादीगण के पूर्वज वादग्रस्त भूमि का लगान पूर्व में जागीरदार को अदा करते थे जिसका नाम देवी सिंह को वादग्रस्त भूमि में उत्पन्न तमाम अनाज का 1/4 बाटा बतौर हिस्सा अदा करते थे। लेकिन सैटिलमेंट विभाग की पैमायश के दौरान यह भूमि गलती से वादीगण के

पूर्वज रणजीत पुत्र चतरा राम मीना के नाम अंकित न करके सिवाय चक अंकित कर दी गई। उपरोक्त भूमि वर्ष 1978 में प्रतिवादी सं0 3 लगायत 7 के नाम अंकित की गई थी जो नामान्तकरण सं0 8 दिनांक 25.10.2001 के अन्तर्गत गैरखातेदारी से खारिज करके पुनः सिवायचक अंकित कर दी गई लेकिन कब्जा सम्वत 2012 के पूर्व से ही यथावत वादीगण एवं उनके पूर्वज के नाम चलता रहा। जो कि गत 70 वर्ष से चला आ रहा है एवं वादग्रस्त भूमि में नीम, बैथूल इत्यादि के पेड लगे हुए है। दिनांक 2.10.2007 को वादीगण खडी फसल गवार बाजरा व गवार की लावणी कर रहे थे तब हल्का पटवारी ने बताया कि यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज हैं। इस भूमि की एक विज्ञप्ति दिनांक 1.10.2007 को भी जारी हुई जिसमें ग्राम देगरास को जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित करने बाबत भी सूचना जारी हुई इस कारण जयपुर विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है।

वादीगण के पूर्वज रणजीत पुत्र चतरा राम मीना एक अनपढ़ व्यक्ति थे एवं देवीसिंह जागीरदार ने यह आश्वासन दे दिया था कि तुम काश्त करते रहो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। न तुमको जमीन से बेदखल करेंगे। अतः न तो हमारे पूर्वज रणजीत मीना ने और न ही हमने कोई दुरूस्ती नहीं करवाई क्योंकि राज्य सरकार ने इस भूमि का नाजायज रूप से बिना कब्जे जो आवंटन वर्ष 1978 में प्रतिवादी सं0 3 लगायत 7 किये थे वो भी नियमानुसार कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत निरस्त कर दिये एवं उक्त फर्जी एलाटमेन्ट को निरस्त कर दिया। दिनांक 13.10.2007 को जानकारी होने के बाद नियमानुसार धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस 2 माह का जिलाधीश महोदय, जिला आयुक्त, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर को दिया गया जिसकी रजिस्टर्ड डाक की रसीद वादीगण को प्राप्त हो गई। इस पर भी राज्य सरकार तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वादीगण के पक्ष में कोई कार्यवाही नहीं की गई अतः यह दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त दावे के लिये बिनाय दावा सम्वत 2012 की पैमायश व दिनांक 2.10.2007 जिस दिन पटवारी हल्का ने बाजरा व गवार की लावणी करते वक्त भूमि सिवायचक बताई थी एवं उसके आधार पर दिनांक 13.10.2007 को जिलाधीश एवं राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपर को नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी पी सी दिया गया उससे बिनाय दावा उत्पन्न होकर आज तक बरकरार है।

पटवारी हल्का जो राजस्थान सरकार का कर्मचारी है वादीगण को कभी भी बेदखल कर सकता है अतः वादीगण दावा घोषणा, इस्तकरारहक प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण भूमिहीन काश्तकार है एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है। वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से कब्जा चला आ रहा है अतः वह खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। दावे के अन्तर्गत घोषणा कराने के मुश्तहक है। कि अगर प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वो कभी भी वादीगण को अपनी पुरातन कब्जे की भूमि से बेदखल कर सकते है एवं जिस भूमि को 3 पीढियों से nourish कर रहे है से वादीगण को वंचित किया जा सकता है। वादीगण वादग्रस्त भूमि ख0नं0 26, 27 एवं 49

ग्राम देगरास तहसील आमेर में शांतिपूर्वक, खुलेरूप एवं नियमितरूप से काबिज चले आ रहे है एवं इसकी जानकारी वास्तविक भूधारक राज्य सरकार एवं उनके प्रतिनिधियों को है। अतः वादीगण मुखालफाना कब्जे के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण राज्य सरकार की इस भूमि पर खातेदार हो चुके है एवं अवधि अधिनियम के अन्तर्गत भी वादीगण अनुतोष पाने के हकदार है। अतः यह दावा वादीगण जेरदफा 88, 91 व 188 समय अवधि में प्रस्तुत कर रहे है।

अतः दावा इस्तकरारहक इस अमर की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम देगरास आराजी ख0नं0 26 रकबा 1.95 है0, बारानी 3, ख0नं0 27 रकबा 3.7 बारानी तृतीय एवं खसरा नम्बर 49 रकबा 0.12 है0 बारानी तृतीय भूमि ग्राम देगरास तहसील आमेर के खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये हुक्त इम्तनाही दामामी पाबंद किया जावे कि वादीगण के हकूक काश्त उपरोक्त भूमि पर कोई हमला न करे, न कोई क्षति पहुचावें न कोई जबरन बेदखली करें। इस काशय की डिक्री पारित की जावें। प्रसंगत भूमि राजकीय सिवायचक इन्द्राज से विलोपित की जाकर वादीगण के नाम अंकित की जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित फरमाई जवो कि वादी के काश्त भूमि पर जब तक वाद इन्द्राज दुरूस्ती का निस्तारण नहीं हो जाये किसी प्रकार की दखलदांजी या हस्तक्षेप प्रतिवादीगण न स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें। अन्य दादरसी जो श्रीमान न्यायालय उचित समझे वादीगण को धारा 209 आरटीए के तहत प्रदान करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गयी। प्रतिवादीगण नम्बर 01 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार आमेर ने जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 2 आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकारण जयपुर की ओर से श्री उमेश पारीक अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। जो दिनांक 17.6.14 को शामिल पत्रावली किया जाकर वाद में कायम किये गये।

विवाधक

1. आया आराजी ख0नं0 26 रकबा 1.95 बारानी 3, ख0नं0 27 रकबा 3.7 बारानी 3 एवं ख0नं0 49 रकबा 3.12 है0 ग्राम देगडास तहसील आमेर पर पूर्व में रणजीत पुत्र चत्राराम मीणा का कब्जा काश्त था एवं वर्तमान में वादीगण रामचन्द्र वगै0 का है।

बजिम्मे वादीगण

2. आया उपरोक्त तीनों नम्बरान का आवंटन दिनांक 31.7.1978 को सर्व श्री गोदा पुत्र रघुनाथ रैगर ग्राम बूरथल बफाती खां पुत्र नाथू मुसलमान निवासी रिसानी, गुनी खां पुत्र नाथू खां मुसलमान निवासी रिसानी सुन्दर पुत्र गणेश जाति बलाई निवासी बूरथल को आवंटित की गई थी जो कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उप नियम 14(4) के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक 11.12.98 को तत्कालीन अपर जिला कलक्टर द्वितीय द्वारा मुकदमा सं0 8/98, 7/98, 6/98, 4/98, 7/98 के अन्तर्गत निरस्त की जा चुकी है।

बजिम्मे वादीगण

3. आया उपरोक्त आवंटन पटवारी हल्का की रिपोर्ट की फर्द रिपोर्ट दिनांक 18.9.93 के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि पर रामचन्द्र व प्रहलाद पुत्र रणजीत मीणा का कब्जा पाया गया था।

बजिम्मे वादीगण

4. आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जाकाश्त होते हुये भी गैर कानूनी रूप से आवंटित कर दी जबकि कानूनन इस भूमि का नियमन वादीगण के नाम होना चाहिये था जो नियमानुसार होने के बावजूद नहीं किया गया।

बजिम्मे वादीगण

5. आया जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम यह भूमि कागजी कब्जे के आधार पर मौके पर जयपुर विकास प्राधिकरण का कोई कब्जा काश्त नहीं है।

बजिम्मे वादीगण

यह है कि दिनांक 12.6.12 को वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 14(3) बाबत पेश किये जाने अतिरिक्त दस्तावेज की बहस दिनांक 6.5.16 को सुनी जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। तथा दिनांक 20.9.16 को वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 32 नियम 12 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया है कि वाद प्रस्तुती के समय वादी अरविन्द कुमार जो कि नाबालिग था उसे बतौर गार्जियन अरविन्द कुमार पुत्र श्री प्रहलाद राम नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता दुर्गेश देवी वादी सं0 5 पक्षकार बनाते हुये उक्त वाद प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में वादी सं0 5 की उम्र 25 वर्ष है इसलिये वाद हाता में उक्त वादी सं0 5 को नाबालिग से बालिग पक्षकार बनाने का आदेश प्रदान करें। हमने प्रा0 पत्र की बहस सुनकर वादीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 5.10.16 को स्वीकार किया गया तथा संशोधित उनवान पेश करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश की पालना में वादी ने दिनांक 6.12.16 को संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल पत्रावली है। वाद में वादीगण अधिवक्ता ने वादी रामचन्द मीना स्वयं का तथा गवाहगण नारायण, रामेश्वर, नाथूसिंह, खूबराम, रूडाराम के शपथ पत्र पेश किये। शामिल पत्रावली कर प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा जिरह की गई है।

वादी रामचन्द्र मीना ने प्रस्तुत शपथ–पत्र की जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता ने दिनांक 10.1.17 को करने पर जिरह में अवगत करवाया है कि विवादित भूमि का गत ख0नं0 8 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा गत ख0नं0 8/1 लगायत 8/5 जिसके हाल ख0नं0 बने 26 रकबा 1.95 है0, ख0नं0 27 रकबा 3.07 है0, ख0नं0 49 रकबा 0.12 है0 बने है कुल किता 3 रकबा 5.14 है0 है। यह जमीन देवी सिंह जी की जागिर में थी। मेरे पिता सम्वत् 1987 से जोतते आ रहे है। तथा 1/4 हिस्सा जागिरदार को देते आ रहे है। जागीरदार ने हमको पट्टा नहीं दिया। राजस्व कर्मचारियों की गलती से विवादित भूमि को सिवाय चक दर्ज कर दी गई है। वर्ष 1978 में विभिन्न व्यक्तियों को आवंटन करने पर 14(4) की कार्यवाही हेतु अपील ए.डी.एम. सहाब के समक्ष पेश करने पर उन्होंने कब्जा हमारा मानते हुये आवंटन खारिज किया गया है। वर्तमान में विवादित भूमि जे.डी.ए. के नाम राजस्व रिकॉर्ड है। जे.डी.ए. का कोई कब्जा काश्त नहीं है। हम ही इस जमीन पर काश्तकार की हैसियत से काबिज है।

गवाह रामेश्वर लाल पुत्र श्रीयानाथ जाति जोगी निवासी ग्राम चौंप तहसील आमेर गवाह रूडाराम पुत्र सुण्डाराम अहीर उम्र 75 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम चौंप तहसील आमेर जिला जयपुर व गवाह श्री नारायण पुत्र भूराराम मीणा उम्र 80 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम देगडास तहसील आमेर व खुबाराम पुत्र कजोड बागडा ब्राह्मण उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम रिसानी तहसील आमेर तथा दुर्गासिंह पुत्र नाथूसिंह राजपूत निवासी ग्राम रिसानी तहसील आमेर जिला जयपुर के शपथ–पत्र में अंकित व जिरह के दौरान अवगत करवाया है कि विवादित भूमि पर वादी के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से लेकर व बजमाना जागीरदार देवी सिंह वादी रामचन्द्र के पिता रणजीता मीणा पुत्र चतरा मीणा काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी रामचन्द्र के पिता की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि पर उनके पुत्र रामचन्द्र, प्रहलाद राम तथा प्रहलाद राम की मृत्यु के बाद उनके वारिसान सत्यनारायण, अशोक, अरविन्द व दुर्गा देवी एकमात्र रूप से काबिज काश्तकार है तथा विवादित भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादीगण ही काबिज काश्त है।

प्रकरण में वादीगण की ओर से दिनांक 3.7.18 को लिखित बहस इस आशय की पेश की है कि वादीगण की ओर से भूमि गत ख0नं0 8 मि. रकबा 20 बीघा 7 बिस्वा अर्थात् मिन गत ख0नं0 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 वाके ग्राम चक रिसानी जिसके बने हाल ख0नं0 26, 27, 49 किता 3 कुल रकबा 5.14 है0 वाके ग्राम देगडास, पूर्व ग्राम चकरिसानी, तहसील आमेर जिला जयपुर बाबत वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से लेकर बजमाना जागीरदारान देवीसिंह वादीगण के पिता रणजीत पुत्र चतरा मीणा एकमात्र रूप से काबिज काश्त हो, काश्तकार, उपजों को प्राप्त कर लाभ उठाते चले आ रहे थे व उपजों का 1/4 हिस्सा जागीरदार ठा. देवीसिंह को अदा करते रहे थे। पिता रणजीत की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि पर वादी रामचन्द्र व उसका भाई प्रहलादराम व भाई प्रहलाद की मृत्यु उपरान्त प्रहलाद के वारिसान वादीगण सं0 2 ता 5 वादी रामचन्द्र के साथ उक्त भूमि पर एकमात्र रूप से काबिज काश्त होकर लाभ उठाते आ रहे है। उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण के पूर्वज रणजीत के नाम दर्ज न कर गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दी व वर्ष 1978 में उक्त भूमि में से ख0नं0 8/1 रकबा 5 बीघा भूमि गोधा पुत्र रघुनाथ रैगर, 8/2 रकबा 5 बीघा बफाती पुत्र नाथू खां मुसलमान, 8/3 रकबा 5 बीघा मु. धापा बेवा कानाराम स्वामी, 8/4 रकबा 2 बीघा गन्नी खां पुत्र नाथू खां, 8/5 रकबा 2 बीघा सुन्दर पुत्र गणेश बलाई को गलत रूप से आवंटित कर दी किन्तु उक्त भूमि या इसके किसी भू–भाग पर उनका कतई कोई काश्त नहीं था व मौके पर वादी रामचन्द्र व उसके भाई प्रहलाद मीणा का कब्जा काश्त था इस कारण न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय), जयपुर, जिला जयपुर ने एस.डी.ओ. आमेर के आवंटन आदेश दिनांक 31.7.1978 को कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत दिनांक 11.12.1998 को निरस्त कर दिये जिससे भलीभांति साबित है कि विवादित भूमि पर राजस्थान सरकार अधिनियम लागू होने से पूर्व से लेकर व जागीर रिज्यूमशन प्रभाव में आने से पूर्व से, वादीगण के पूर्वज रणजीत व उसकी

मृत्यु उपरान्त वादीगण उक्त भूमि पर एकमात्र रूप से काबिज काश्त होकर प्रत्येक प्रकार से लाभ उठाते चले आ रहे है। उक्त भूमि में वादीगण के पूर्व–पश्चिम 21 फीट व उत्तर–दक्षिण 12 फीट माप के खामघर बने हुए है व पूर्व–पश्चिम 21 फीट व उत्तर–दक्षिण 12 फीट माप के टीनशेड लगे हुए है व वादीगण ने उक्त भूमि में चारों ओर आवारा पशुओं से अपने द्वारा काश्त की गई फसलों की व अपने द्वारा लगाये हुए 60 पेडों की सुरक्षार्थ तारबाउण्ड्री की हुई है। वादीगण अपने द्वारा काश्त की हुई फसलों की सिंचाई पास में ही स्थित अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में बने चाह से जरिये अण्ड ग्राउण्ड पाईप लाईन करते चले आ रहे है। वादीगण ने अपनी भूमि में गेहूं की फसल काश्त कर रखी है जो मौके पर मौजूद है। दिनांक 02.10.2007 को वादीगण जब अपने द्वारा काश्त की हुई ज्वार, बाजरे की फसल की लावणी कर रहे थे तब पटवारी ने कहा कि यह भूमि सिवाय चक है जिस बाबत् एक विज्ञप्ति दिनांक 01.10.2007 हो जारी हुइ है जिसमें ग्राम देगडास को जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित करने की सूचना जारी की है जिस पर जानकारी होने पर वादीगण ने दिनांक 13.10.2007 को ज.वि.प्रा. के आयुक्त, जिलाधीश जयपुर व राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का विधिक नोटिस दिया कि उपरोक्त भूमि की खातेदारी हकूक वादीगण के नाम स्वीकार करते हुए वादीगण का नाम रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावें अन्यथा वादीगण द्वारा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जावेगा जो नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद भी विवादित भूमि वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं की गई इसलिए वादीगण घोषणा इस्तकरार हक का वाद प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में अनुतोष चाहा कि ग्राम देगडास की भूमि आराजी ख0नं0 26, 27, 49 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। उक्त भूमि को राजकीय सिवाय चक इन्द्राज को विलोपित किया जावें व प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावें कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें ना ही वादीगण को बेदखल करे आदि.....

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने उपरान्त प्रतिवादीगण पर सम्मनों की तामील करवायी गयी। तहसीलदार आमेर ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि वादीगण अपना वाद स्वयं साबित करें। उक्त भूमि सिवायचक है और ज.वि.प्रा. के नाम दर्ज है। वादीगण उक्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है आदि .....

प्रतिवादी सं0 2 जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि संवत 2012 में सिवायचक दर्ज थी तथा वर्तमान में भूमि ख0नं0 26, 27, 49 ज.वि.प्रा. के अस्तित्व में आ जाने के बाद ज.वि.प्रा. के नाम खातेदारी में अंकित हो गई। टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ तब विवादित भूमि पर वादीगण या उनके पूर्वजों का कब्जा नहीं था। इसी कारण उक्त भूमि सिवायचक दर्ज की गई। जागीदर समाप्त होने के बाद जो भी काश्तकार भूमि पर काश्तकर रहा था उसके नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई जो भूमि खाली थी उन्हें सिवायचक व चारागाह दर्ज कर दिया गया तथा अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि वादीगण एकतरफ तो अपने आपको जागीर समाप्त होने के कारण खातेदारी के अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते है दूसरी ओर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त

करना चाहते है। दोनों बाते विरोधाभाषी है। वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज योग्य है आदि .....

वादीगण ने अपने वाद को साबित करने हेतु विवादित भूमि की संवत् 2063 से 2068 की जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, खसरा गिरदावरी, न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जयपुर के आवंटन निरस्तीकरण के आदेश प्रतिवादीगण को प्रेषित विधिक नोटिस, उनकी रजिस्ट्री की रसीदे आदि दस्तावेजात पेश किये व साथ ही तहसीलदार आमेर ने अपने जवाब वाद पत्र के साथ जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की वे दस्जावेज प्रदर्शित करवाये जिस मौका रिपोर्ट में भूमि ख0नं0 8/1 लगायत 8/5 वाके ग्राम देगडास में वादी रामचन्द्र व प्रहलाद पुत्र रणजीत, निवासी चीथवाडी द्वारा मौके पर बाजरा, ग्वार की काश्त करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, ना ही उन्हें प्रदर्शित करवाया गया।

न्यायालय श्रीमान् ने उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया आराजी ख0नं0 26 रकबा 1.95 बारानी 3, ख0नं0 27 रकबा 3.7 बारानी 3 एवं ख0नं0 49 रकबा 3.12 है0 ग्राम देगडास तहसील आमेर पर पूर्व में रणजीत पुत्र चत्राराम मीणा का कब्जा काश्त था एवं वर्तमान में वादीगण रामचन्द्र वगै0 का है।

बजिम्मे वादीगण

2. आया उपरोक्त तीनों नम्बरान का आवंटन दिनांक 31.7.1978 को सर्व श्री गोदा पुत्र रघुनाथ रैगर ग्राम बूरथल बफाती खां पुत्र नाथू मुसलमान निवासी रिसानी, गुनी खां पुत्र नाथू खां मुसलमान निवासी रिसानी सुन्दर पुत्र गणेश जाति बलाई निवासी बूरथल को आवंटित की गई थी जो कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उप नियम 14(4) के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक 11.12.98 को तत्कालीन अपर जिला कलक्टर द्वितीय द्वारा मुकदमा सं0 8/98, 7/98, 6/98, 4/98, 7/98 के अन्तर्गत निरस्त की जा चुकी है।

बजिम्मे वादीगण

3. आया उपरोक्त आवंटन पटवारी हल्का की रिपोर्ट की फर्द रिपोर्ट दिनांक 18.9.93 के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि पर रामचन्द्र व प्रहलाद पुत्र रणजीत मीणा का कब्जा पाया गया था।

बजिम्मे वादीगण

4. आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जाकाश्त होते हुये भी गैर कानूनी रूप से आवंटित कर दी जबकि कानूनन इस भूमि का नियमन वादीगण के नाम होना चाहिये था जो नियमानुसार होने के बावजूद नहीं किया गया।

बजिम्मे वादीगण

5. आया जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम यह भूमि कागजी कब्जे के आधार पर मौके पर जयपुर विकास प्राधिकरण का कोई कब्जा काश्त नहीं है।

बजिम्मे वादीगण

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में बतौर मौखिक साक्ष्य रामचन्द्र पुत्र रणजीत मीणा, रामेश्वरलाल पुत्र श्रीयानाथ जोगी, ठाकुर नाथूसिंह पुत्र देवीसिंह ठीकानेदार, रूडाराम पुत्र सुण्डाराम अहीर, नारायण पुत्र भूराराम मीणा, खुबाराम पुत्र कजोड बागडा, दुर्गालाल पुत्र नाथूसिंह राजपूत के बयान लेखबद्ध करवाये व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी भूमि ख0नं0 26, 27, 49 जिसमे उक्त भूमि को कृषि के लिए उपलब्ध होना राजस्व रिकॉर्ड में दर्शित कर रखा है व प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008 से 2012 जिसमें विवादित भूमि पर वादीगण के पिता रणजीत मीण का कब्जा काश्त दर्शित किया गया है व प्रदर्श–3 मुकदमा सं0 06/98 सरकार बनाम मु. धापा में धापा देवी पत्नी कानाराम की भूमि आवंटन निरस्तनीरण के फैसले की नकल व प्रदर्श–4 मुकदमा सं0 7/98, सरकार बनाम श्रीमती केशर वगै., जिसमें सुन्दर बलाई के आवंटन आदेश को सुन्दर बलाई की मृत्यु के पश्चात् उसके विधिक वारिसान श्रीमती केशर, छीतर, नन्दा, पप्पू, अर्जुन पुत्र सुन्दर बलाई को सुनकर आवंटन आदेश निरस्तीकरण के फैसले की नकल, प्रदर्श–5 मुकदमा नं0 8/98 सरकार बनाम गुलशन खां वगै. जिसमें गनी खां के भूमि आवंटन के निरस्तीकरण आदेश जो गिनी की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान गुलशन खां, रमजान खां, गफूर व शकून खां को सुनवाई का अवसर देकर आवंटन को खारिज किया गया, प्रदर्श–6 मुकदमा सं0 4/98 सरकार बनाम क्ष्वाजा फकीर वगै., जिसमें बफामी खां के वारिसान को सुनवाई का अवसर देकर बफाती खां के आवंटन को निरस्त किया गया, प्रदर्श–7 वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता बी.एल.वर्मा से दिनांक 13.10.2007 को जिलाधीश महोदय, जयपुर आयुक्त विकास प्राधिकरण, जयपुर , राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर को धारा 80 सीपीसी के तहत विवादित भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने बाबत् जारी किया गया व प्रदर्श–8, 9, 10 प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को जारी विधिक नोटिस की रजि. एडी. की रसीदें प्रस्तुत की व तहसीलदार आमेर को पटवारी हल्का द्वारा विवादित भूमि पर वादी रामचन्द्र व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पूर्वज प्रहलादराम का कब्जा काश्त होने व मौके पर उनके द्वारा काश्त की हुई बाजरे व ग्वार की फसल मौजूद रहने की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, प्रदर्शित करवाये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की कोई मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गइ। न्यायालय श्रीमान् को वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का अपने द्वारा विचरित तनकीयात के आधार पर निर्णय करना है जिसके संदर्भ में लेख है कि

<u>तनकी नम्बर–1</u> : उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगणन ने उक्त तनकी को साबित करने हेतु विवादित भूमि की खसरा गिरदावरियां सम्वत् 2008 से 2012 प्रदर्श–2 बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जिन खसरा गिरदावरियों में विवादित भूमि पर एकमात्र रूप से वादीगण के पूर्वज रणजीत मीणा का कब्जा काश्त होना दर्शित किया गया, साथ ही उक्त विवादित भूमि पर वादीगण का एकमात्र कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिस संदर्भ में वादीगण ने स्वयं वादी रामचन्द्र व ठिकानेदार देवीसिंह के पुत्र ठाकुर नाथूसिंह व देवीसिंह के पौत्र ठाकुर दुर्गासिंह तथा रामेश्वरलाल जोगी, नारायण मीणा, खुबाराम जो कि 70–80 वर्ष के व्यक्ति रहे है, के

बयान लेखबद्ध करवाये व यही नहीं स्वयं तहसीलदार आमेर ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब वाद पत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर वादीगण का ही एकमात्र रूप से कब्जा चला आ रहा है व यही नहीं तहसीलदार आमेर द्वारा अपने जवाब के साथ प्रेषित मौके की जांच रिपोर्ट दिांक 18.9.1993 में स्वयं पटवारी हल्का द्वारा भी विवादित भूमि पर वादीगण का ही एकमात्र रूप से कब्जा काश्त होना व वादीगण द्वारा मौके पर ग्वार, बाजरे की काश्त की हुई होना अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण की न तो कोई मौखिक साक्ष्य है और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य है। जिससे भलीभांति साबित है कि भूमि ख0नं0 26, 27, 49 पर पूर्व में वादीगण के पूर्वज रणजीत पुत्र चतरा मीणा का व वर्तमान मे वादीगण का ही एकमात्र रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार तनकी सं0 1 वादीगण ने बखूबी साबित की है।

तनकी नम्बर–2 : उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने उक्त तनकी को साबित करने हेतु विवादित भूमि बाबत गोदा पुत्र रघुनाथ रैगर, निवासी ग्राम बूरथल, बफाती खां पुत्र नाथू मुसलमान, निवासी रिसानी, गनी खां पुत्र नाथू खां मुसलमान, निवासी रिसानी, सुंदर पुत्र गणेश बलाई निवासी बूरथल को अविधिक रूप से किये गये कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(4) के तहत तहसीलदार आमेर द्वारा उनके आवंटन को निरस्त करवाने हेतु न्यायालय अपर जिला कलक्टर द्वितीय, जयपुर के द्वारा मुकदमा नम्बर 9/98, राज. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर बनाम श्रीमती केशर वगै. के आदेश प्रदर्श–4, मुकदमा नम्बर 8/98 राज. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर आमेर बनाम गुलशन खां वगै. के आदेश प्रदर्श–5, मुकदमा न0 4/98 राज. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर बनाम ख्वाजा फकीर वगै. के आदेश प्रदर्श–6 दिनांकित 11.12.1998 के समस्त आदेशों में विवादित भूमि पर वादी रामचन्द्र व वादी के भाई प्रहलाद मीणा का मौके पर कब्जा काश्त होने व आवंटी व्यक्तियों का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने के आधार पर उक्त आवंटियों के आवंटन को निरस्त किये गये, आदेश प्रदर्शित करवाये व उक्त आदेशों के अनुक्रम में वादी रामचन्द्र व उसके गवाहान ने बयान प्रस्तुत किये जिनका भी कोई खण्डन प्रतिवादीगण की ओर से ना तो मौखिक रूप से और ना ही दस्तावेजी रूप में किया गया जिससे भलीभांति साबित है कि उक्त लोगों को जो भूमि आवंटित की गई थी, उसे आदेश दिनांक 11.12.1998 के अनुसार अपर जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इस प्रकार तनकी सं0 2 वादीगण ने बखूबी साबित की है।

तनकी नम्बर–3 : उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने उक्त तनकी को साबित करने हेतु तहसीलदार आमेर के अपने जवाब वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जांच रिपोर्ट जिसमें दिनांक 18.9.1993 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर विवादित भूमि के गत ख0नं0 8/1 लगायत 8/5 पर वादी रामचन्द्र व वादी सं0 2 ता 5 के पूर्वज प्रहलाद द्वारा ग्वार व बाजरे की फसल काश्त करना स्पष्ट दर्शित करते हुए जो पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसे दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया व जिसके समर्थन में वादी रामचन्द्र व उसके गवाहान ने अपने बयान भी लेखबद्ध करवाये, जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा ना तो मौखिक साक्ष्य

से और ना ही दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया। इस प्रकार तनकी सं0 3 वादीगण ने बखूबी साबित की है।

तनकी नम्बर–4 : उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने उक्त तनकी को साबित करने हेतु अपने वाद पत्र के अभिवचनों में स्पष्ट अभिवचन किये है कि विवादित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से लेकर व जागीर रिज्यूमशन प्रभाव में आने से पूर्व से लेकर व जागीरदार देवीसिंह के समय से ही उक्त भूमि पर वादीगण के पिता रणजीता पुत्र चतरा एकमात्र रूप से काबिज काश्त थे और वह अपनी उपज का 1/4 हिस्सा ठाकुर देवीसिंह को दिया करते थे। उक्त भूमि गलत रूप से गोदा पुत्र रघुनाथ रैगर, निवासी ग्राम बूरथल को ख0नं0 8/1 रकबा 5 बीघा, बफाती खां पुत्र नाथू मुसलमान निवासी रिसानी को ख0नं0 8/2 रकबा 5 बीघा, बनी खां पुत्र नाथू खां मुसलमान, निवासी रिसानी को ख0नं0 8/4 रकबा 2 बीघा, सुंदर पुत्र गणेश बलाई, निवासी बूरथल को ख0नं0 8/5 रकबा 2 बीघा, मु. धापा बेवा कानाराम स्वामी को ख0नं0 8/3 रकबा 5 बीघा गलत रूप से आवंटित कर दी गई जिस आवंटन बाबत स्वयं तहसीलदार आमेर ने अपर जिला कलक्टर, द्वितीय जयपुर के समक्ष आवंटन कार्यवाही को निरस्त करने हेतु जो कार्यवाही की व उन कार्यवाहियों में विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त मानते हुए आवंटियों का मौके पर कब्जा काश्त नहीं मानते हुए अपर जिला कलक्बर द्वितीय, जयपुर ने प्रदर्श–3 ता 7 के आधार पर जो आवंटन निरस्त किये, प्रदर्शित करवाये व यही नहीं ठाकुर देवीसिंह के पुत्र ठाकुर नाथूसिंह व पौत्र दुर्गासिंह के बयान अलग से प्रस्तुत किये। स्वयं प्रतिवादी सं0 2 आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने जवाब वाद पत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जागीर समाप्त होने के बाद जो भी काश्तकार मौके पर काश्त कर रहा था उसके नाम ही खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी व प्रदर्श–1 से भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि कृषि योग्य भूमि है अर्थात् उक्त भूमि पर काश्त होती है जिससे प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार आमेर व उसके अधिनस्थ पटवारी हल्का ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर जो काश्त की जाती है वह वादीगण भूमि पर जो काश्त की जाती है वह वादीगण द्वारा ही की जाती है व मौके पर वर्तमान में वादीगण का ही कब्जा काश्त है। राज. काश्तकारी अधि. में स्पष्ट प्रावधान रहे है कि जागीर रिज्यूमशन के वक्त व राज. काश्त. अधि. प्रभाव में आते समय जो व्यक्ति मौके पर काबिज काश्त रहा था उसी के नाम खातेदारी दर्ज की जानी चाहिए थी किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने कतई गलत रूप से पहले तो विवादित भूमि की खातेदारी दीगरान के नाम दर्ज करने हेतु दीगरान को उक्त भूमि गलत रूप से आवंटित कर दी, जिस आवंटन को सक्षम न्यायालय द्वारा वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त मानते हुए निरस्त कर दी जाने उपरान्त भी राजस्व कर्मचारियों ने विवादित भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज ना कर गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दी व तदउपरान्त ग्राम देगडास जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारिता क्षेत्र में आ जाने से उक्त भूमि गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दी गई, जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम विवादित भूमि की खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित है जो

वादीगण के दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित है। इस प्रकार उक्त तनकी सं0 4 भी वादीगण द्वारा बखूबी साबित की गई है।

तनकी नम्बर–5 : उक्त तनकी को साबित करने का भार यद्यपि प्रतिवादी सं0 1 व 2 पर रहा है किन्तु प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अभिवचनों के खण्डन व अपने जवाब वाद पत्र में विवादित भूमि पर एकमात्र रूप से वादीगण का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। यद्यपि उनके द्वारा वादीगण का जो कब्जा काश्त स्वीकार किया गया वह बतौर अतिक्रमी स्वीकार किया है जिसके संदर्भ के लेख है कि प्रतिवादी सं0 2 के नाम विवादित भूमि की खातेदारी दर्ज करने से पूर्व ही स्वयं प्रतिवादी सं0 1 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा जो कि कृषि भूमि की वास्तविक स्थिति के बारे में व उसके मौके पर विद्यमान कब्जे काश्त को दर्शित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है, ने विवादित भूमि पर वादीगण व उससे पूर्व वादीगण के पिता रणजीता का कब्जा काश्त होना स्वीकार कि या है व यही नहीं सक्षम न्यायालय अपर जिला कलक्टर द्वितीय, जयपुर ने प्रतिवादी सं0 2 के नाम गलत रूप से खातेदारी दर्ज होने से पूर्व ही विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त मानते हुए गलत आवंटन धारियों के आवंटन को विधि अनुसार खारिज किया है। जिससे भलीभांति साबित है कि जयपुर विकास प्राधिकरण का विवादित भूमि पर ना तो कभी कब्जा काश्त रहा है, ना ही है, ना ही उक्त भूमि कभी सिवाय चक भूमि के रूप में कभी काम आयी। वादीगण के साक्षी जो कि 70–80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति एवं आस पडौस के व्यक्ति व ठिकानेदार व उनके वारिसान रहे है, जिनके बयानों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। ऐसे में उक्त तनकी सं0 5 भी वादीगण ने अपने पक्ष में प्रतिवादी सं0 1 व 2 विरूद्ध भलीभांति साबित की है।

धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय व जागीर रिज्यूमशन प्रभाव में आने से पूर्व से भूमि पर काबिज रहा है, उन्हीं व्यक्तियों के नाम उस भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का राजस्व कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार रहा था किन्तु विवादित भूमि के संबंध में राजस्व कर्मचारियों ने कतई गलत रूप से विवादित भूमि पर वादीगण व उससे पूर्व वादीगण के पिता रणजीता का ठिकाने के समय से ही कब्जा काश्त चले आते रहते के बावजूद व जिस क्रम में खसरा नम्बर गिरदावरी जो कब्जे का महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें सम्वत् 2008 से 2012 तक विवादित भूमि पर वादीगण के पूर्वज रणजीता का एकमात्र रूप से कब्जा काश्त होना व काश्त कर उपजों को प्राप्त करते रहना दर्शित किये जाने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों ने विवादित भूमि की खातेदारी वादीगण के पिता के नाम दर्ज ना कर कानूनी भूल की है जिसे दुरूस्त किया जाकर विवादित भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है, साथ ही यह भी की प्रतिवादी सं0 2 द्वारा वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने की मियाद भी निकल चुकी है व प्रतिवादी सं0 2 की उपस्थिति में भी वादीगण विवादित भूमि पर एकमात्र रूप से काबिज काश्त होकर प्रत्येक प्रकार से लाभ उठाते चले आ रहे है इसलिए वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाकर वादीगण को विवादित भूमि गत ख0नं0 8 मि. से बने ख0नं0 8/1 लगायत 8/5 जिनके वर्तमान

ख0नं0 26 रकबा 1.95 है0, ख0नं0 27 रकबा 3.07 है0, ख0नं0 49 रकबा 0.12 है0 किता 3 का कुल रकबा 5.14 है0 वाके ग्राम देगडास पूर्व ग्राम चकरिसानी, तहसील आमेर जिला जयपुर का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें कि वे उक्त भूमि के वादीगण के उपयोग उपभोग में, काश्त करने में, उपजों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, ना ही वादीगण को मौके से बेदखल करें।

लिखित बहस के उपरान्त हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता की मौखिक बहस सुनी गयी विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों तथा लिखित बहस के वाक्यात को पुनः दोहराते हुये दलील की है कि ग्राम रिसानी तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित विवादित आराजी के गत ख0नं0 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 के नये नम्बर 26, 27, 49 रकबा 5.14 है0 है तथा काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से लेकर जागीरदार देवीसिंह मेरे पिता रणजीता मीणा पुत्र चतरा मीना काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारियों की गलती से भूमि को सिवाय चक दर्ज करने पर विभिन्न व्यक्तियों को दिनांक 31.7.1978 को आवंटन किया गया है। आवंटन की अपील श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के करने पर वादीगण का कब्जा काश्त मानते हुये आवंटन की धारा 14(4) के तहत दिनांक 11.12.98 को निरस्त किया गया है। तहसीलदार आमेर ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी/वादीगण का कब्जा काश्त माना है। स्वयं की खातेदारी भूमि की लगती हुई है। वर्ष 2007 में भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया है जबकि उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वाद–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती व वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश फरमावें।

अतः उपरोक्त विवेचन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि रिकॉर्ड गत गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2012 के मुताबिक अतिक्रमी के रूप से काबिज काश्त है तथा वर्तमान में भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है विवादित भूमि आराजी ख0नं0 26 रकबा 1.95 है0 में से रकबा 1.60 है0 व ख0नं0 27 रकबा 3.07 है0 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के अनुसार है तथा ख0नं0 49 रकबा 0.12 है0 पर अतिक्रमण नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ने भी उक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम राजस्व रिकॉर्ड होना एवं अनाधिकृत रूप से वादी ने कब्जाकाश्त कर रखा है जो उसको कोई अधिकार नहीं है। अपने जवाब में अवगत कराया है। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होने के फलस्वरूप वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज **दिनांक 19.11.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2020.01.22 13:19:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: